कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 304/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-मुबारकपुरः- सोनार की दुकान पर आभूषण देखने के बहाने चोरी करने वाला 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार, पूर्व में चोरी में शामिल 01 अभियुक्ता को किया जा चुका है गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.08.2025 को वादी शुभम सिंह पुत्र राम विभो सिंह मो0 फराश टोला कोतवाली थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.05.2025 को शाम 05.00 बजे के लगभग मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया तथा दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा थाना-घोसी जनपद- मऊ मेरी दुकान दीपक ज्वैलर्स पर गहना देखने आये, मेरे द्वारा उन्हें एक जोड़ा झाला देखने के लिए दिया गया वे दोनों झाला देखने लगे तथा जब मेरा ध्यान दूसरी तरफ बँट गया तो वे दोनों झाला लेकर चले गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा से संबंधित अभियुक्ता मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 24.08.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा खास, बडी बाजार थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भटौरा अण्डरपास पुल के नीचे से एक अददस अवैध तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय करीब 20.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं और मीरा सोनकर मिलकर आस पास के जिलों में सोने चांदी की दुकानों से गहनों की खरीददारी करने के बहाने अधिक गहने निकलवाकर गहना देखने के दौरान दुकानदार का ध्यान बंटने पर गहनो की चोरी करते हैं तथा इसी पल्सर मोटरसाइकिल से चोरी के बाद तेजी से भाग निकलते हैं। यह तमंचा व कारतूस इसलिए रखते हैं कि अगर मौके से पकडे गये तो आम लोगों को तमंचा दिखाकर डरा धमका कर मौके से भाग सकें। अभियुक्त का यह कृत्य अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी व अवैध तमंचा के बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद तमन्चा .315 बोर
02. एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01. दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा थाना- घोसी जनपद- मऊ

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 381/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2),317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
मु0अ0सं0 312/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
मु0अ0सं0 409/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना जीयनपुर, आजमगढ़
मु0अ0सं0 74/2025 धारा 303(2),317(2) BNS थाना मुधबन, जनपद मऊ
मु0अ0सं0 70/2025 धारा 305,317(2) BNS थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकर नगर

02.थाना-अहरौला-गैरइरादतन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त 01 अदद सिलेण्डर के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 24.08.2025 को आवेदक लालचन्द्र अग्रहरी पुत्र स्व0 राधेश्याम वार्ड नं0 6 नगर पंचायत माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 22.08.2025 रात्रि 10.00 बजे मेरा छोटा लड़का दिलीप जो नशेड़ी टाइप का है, उसने प्रार्थी के भाई मनोज को गैस सिलेन्डर से मारकर लहुलुहान कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका अस्पताल मे उपचार चल रहा है। आवेदक की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 110 बीएनएस बनाम अभियुक्त दिलीप पुत्र लालचन्द्र अग्रहरी निवासी वार्ड नं0 6 नगर पंचायत माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल पीड़ित मनोज की मृत्यु हो गयी, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस की घटोत्तरी करते हुए धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.08.2025 को उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह मय हमराह अभियुक्त दिलीप अग्रहरी पुत्र लालचन्द्र अग्रहरी निवासी वार्ड नं0 6 नगर पंचायत माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष जो पूर्व से थाने पर पूछताछ हेतु बैठाया गया था को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस मे समय करीब 11.00 बजे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद सिलेण्डर बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. दिलीप अग्रहरी पुत्र लालचन्द्र अग्रहरी निवासी वार्ड नं0 6 नगर पंचायत माहुल थाना अहरौला थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 306/2025 धारा 105 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 सुधीर कुमार सिह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
02. का0 बलवन्त थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।